न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट सं०–2, रामपुर
विविध सिविल अपील सं०–31/2023
रजि०सं०–31/2023

श्रीमती मीना देवी बनाम प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

06–03–2026,

पत्रावली पेश हुई।

अपीलार्थीगण सुनील बाबू, सुरजन सिहं उर्फ राजा एवं यशपाल सिहं विधिक उत्तराधिकारीगण मृतक श्रीमती मीना देवी की ओर से 22C/1 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त विविध अपील से सम्बन्धित मूलवाद में वादीगण एवं प्रतिवादी बैंक के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के आधार पर डिक्री पारित हो चुकी है। अतः उपरोक्त विविध अपील निष्प्रभावी होने के कारण निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थना पत्र के साथ सूची 22C/2 से मूलवाद सं०–149/2020 में पारित आज्ञप्ति की सत्यप्रतिलिपि 22C/4 ता 5 दाखिल की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत विविध सिविल अपील अवर न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग) न्यायालय सं०–1, रामपुर द्वारा मूलवाद सं०–149/2020 श्रीमती मीना देवी बनाम प्रथम यू०पी० ग्रामीण बैंक में पारित आदेश दिनांकित 23.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थीगण की ओर से 22C/1 प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त विविध अपील से सम्बन्धित मूलवाद में वादीगण एवं प्रतिवादी बैंक के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के आधार पर डिक्री पारित हो चुकी है तथा उपरोक्त विविध सिविल अपील निष्प्रभावी होने के कारण निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत 22C/1 प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत 22C/1 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत विविध सिविल अपील निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

(डॉ० विजय कुमार)
अपर जिला जज,
कोर्ट सं० 2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.03.06 16:18:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court